

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०ए०)

वाद सं० : 67 सन 2020

अनवान :-

1. चेताराम पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रीरामदास पुत्र भोमाराम जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. जगदीश पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
3. दुगीराम पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
4. कृष्ण कुमार पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
5. चावली पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
6. विमला पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
7. कन्हैयालाल पुत्र विदागी पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. राधेश्यात पुत्र विदागी पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. अनु पुत्री विदागी पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 02/12/2020


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 147 की कुल 2.2770 हैक् व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 356/434 की कुल 3.1620 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वाद भूमि भोमाराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें उसके पुत्र/पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 एवं भृतक पुत्री विदागी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है काफी वृद्ध हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिरसा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भोमाराम वल्द नरसिंह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिरसा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिरसा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिरसा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेशोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 147 की कुल 2.2770 हैक व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 356/434 की कुल 3.1620 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिरसा है।

वाद भूमि भोमाराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें उसके पुत्र/पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 एवं मृतक पुत्री बिदामी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के हक हिरसा की भूमि है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिरसा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है काफी वृद्ध हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 9 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बराबर का हक हिरसा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज

उपस्थित अधिकारी

बोहर

646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 147 की कुल 2.2770हैक् व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 356/434 की कुल 3.1620हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि भोमाराम वल्द नरसिंह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिंह के नाम से दर्ज है वादी के दादा भोमाराम वल्द नरसिंह के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 .8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 147 की कुल 2.2770हैक् व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 356/434 की कुल 3.1620हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवाणी )

### न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. चेताराम पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रीरामदास पुत्र भोमाराम जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. दुनीराम पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. कन्हैयालाल पुत्र विदामी पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राधेश्याम पुत्र विदामी पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. अनु पुत्री विदामी पुत्री श्रीरामदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 67 सन 2020 निर्णय दिनांक-02/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 147 की कुल 2.2770 हैक् व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 356/434 की कुल 3.1620 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )